कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक -2289 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 17-2- 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद- चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर-पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- भारत सरकार की पत्र सं0 08B/UCP/06/112/2018/FC/1037 दिनांक 28.10.2022।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत ने अपने पत्रांक 2667 / 12-1 दिनांक 07.02.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है कि तीन हॉर्ड कॉपियां स्पीड पोस्ट के माध्यम प्रेषित की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

Email-dfo_champawat@rediffmail.com

पत्रांक 2667/ 12-1 चम्पावत दिनांक 7-2-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः— **जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर—पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन। Proposal No – FP/UK/ROAD/31090/2017**

संदर्भः— **अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट का पत्रांक 1672/6 सी0 दिनांक 24.12.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में जनपद चम्पावत में चारधाम परियोजना के अन्तर्गत टनकपुर—पिथौरागढ़ एन0एच0 125 (नया 09) चम्पावत बाईपास के निर्माण हेतु 8.94 है0 वन भूमि का सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 8B/UCP/06/112/2018/FC/1037 दिनांक 28.10.2022 में गई 8 बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर आख्या अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। जिसके आधार पर आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है—

क्र0स0	आपत्तियां	निराकरण
1	The proposad alignment is supposed to pass through the river/nalla etc for which there must have proposed bridges for which no details are furnished. The State Govt is requested to submit the details of all such components in component wise breakup in online Para B2.4	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास में कुल 07 Bridges है, जिसकी सूचना B-2.4 में अपडेट कर दी गई है। जिसका विवरण संलग्न है। **संलग्न संख्या—1**
2	This is mentioned in the justification of the project that the proposed road is crossing several other small roads/paths. The State Govt. is requested to furnish the necessary details for these roads /paths in view of the guideline Para 5.6 (if re-diversion is needed).	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास में कुल 11 Junctions है, जिसका विवरण संलग्न है। **संलग्न संख्या—2**
3	The administrative approval was taken for the length 7.875 km while proposal is proposed for the length of 10.0 km. Therefore, the State Govt. is requested to submit the comments on revised administrative approval.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत बाईपास के समेरखन की स्वीकृत लम्बाई 7.875 कि0मी0 पर भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, दिल्ली के मानकों के अनुसार मोड डिजाईन कराने पर मार्ग की लम्बाई 9.847 कि0मी0 आयी, जिसके अनुसार वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया गया है। **(इण्डैक्स मैप संलग्न)** यह भी अवगत कराया गया है कि प्रकरण को वर्तमान में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित Over site commiitte द्वारा देखा जा रहा है। Over site commiitte द्वारा निर्देशित किया गया है कि सर्वप्रथम एक माह के भीतर वनभूमि हस्तान्तरण कराया जाये, जिसकी तिथि दिनांक 26.09.2022 को व्यतीत हो चुकी है। वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात Over site commiitte के निर्देश पर Morth द्वारा कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी। **संलग्न संख्या—3**
4	The tree enumeration details provided in online portal and in hard copy of the proposal is different In hard copy it is mentioned as 2346 while in online portal it is 1975 trees. Therefore, the State Govt. is requested to submit the clarification and	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रारूप 19 में बांज के वृक्षों की संख्या कुल 371 जोड़ते हुए कुल वृक्षों की संख्या 2346 प्रदर्शित कर संशोधित कर दिया गया है। **संलग्न संख्या—4**

	do necessary corrections in this regard.	
5	The muck disposal plan submitted by the State Govt is scatchy as in view of the geology of the area the possibility of generation of muck is many more than calculated. Accordingly, correction and justification is needed in this regard.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की जो भूमि अधिग्रहित की जा रही है, वह 24 मीटर चौड़ाई में है। परन्तु मार्ग निर्माण हेतु हिल साईड कटिंग मात्र 14 मीटर में ही किया जाना है। उक्त हिल साईड कटिंग के उत्सर्जित मलवे की Detail Calculation प्रस्ताव में संलग्न है, जो ठीक है। **संलग्न संख्या–5**
6	The DSS analysis shows that against requirement of 17.88 ha CA area the calculated area is shown in DSS analysis is 42 ha out of which 8 ha is VDF and 14 ha is MDF. The State Govt is requsted to correct the KML and geo-referenced map of CA area accordingly. Prior uploading the details, it is advisable that DSS analysis should be done at DFO level.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नये क्षेत्र डी0एस0एस0 उपरान्त पूर्वी क्रान्तेश्वर क0सं0 11ए–6.00 है0 एवं क0सं010 में–12.50 है0 चयनित कर Digital map & Geo reference map प्रेषित किये जा रहे है। **संलग्न संख्या–6**
7	The ROW is taken as 24 m. The State Govt is requested to justify the requirement in view of the latest rule & guideline in the context of the hills of MoRTH.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Guidelines for the Alignment survey and Geometric Design of Hill Road IRC-52-2019 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु 24 मीटर चौड़ाई में भूमि की आवश्यकता है, (प्रति संलग्न) अतः 24 मीटर चौड़ाई में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव गठित किया गया है। **संलग्न संख्या–7**
8	Earlier, the State Govt has not approvad the proposal stating that the construction of the Champawat bypass was not feasible due to environmental issues. Therefore, the State Govt should give a clear recommendation regarding its feasibility and additional measures, if any, to be undertaken to construct this bypass.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि चम्पावत वाईपास के Feasibility हेतु Repid EIA, M/S Enviro Infra Solutions Pvt. Ltd Ghaziabad द्वारा कराया गया है। उक्त Report Oversight Committee को भी Submitted है। Enviorment Issue को Address करने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Oversight Committee का गठन किया गया है। Oversight Committee की 10वीं बैठक में वनभूमि हस्तान्तरण पर अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में उक्त प्रस्ताव की स्वीकृति का प्रकरण पुनः प्रेषित किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार सूचना अपने स्तर से अपर प्रमुख एवं नोडल अधिकारी भूमि संरक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 4 प्रतियों में।

भवदीय,

(signature)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

पत्रांक 2667 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, लोहाघाट को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

O/C